न्यायालयः— मयंक मोदी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रतलाम, (म.प्र.)

क्रमांक 57/24

रतलाम, दिनांक 15.05.2024

संशोधित कार्य विभाजन आदेश

मैं, मयंक मोदी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रतलाम, (म.प्र.) दं.प्र.सं. की धारा 14 (1) एवं 15 (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक प्रकरणों एवं उनसे संबंधित अनुषांगिक कार्यवाहियों के निष्पादन के संबंध में प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार सुश्री कृतिका सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम की पदस्थापना प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, रतलाम के पद पर हो जाने से कार्य विभाजन आदेश क्र. 10/2023 दिनांक 14.02.2023 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैं जो तत्काल प्रभावी होगाः—

1— कार्यविभाजन पत्र के पद क्रं. 08 सुश्री कृतिका सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम के आरक्षी केन्द्र वाले कॉलम नं. 3 में से "1. माणकचौक" विलोपित किया जाता हैं। इसी प्रकार आपराधिक प्रकरणों से संबंधित कार्य जिसका वितरण होगा, वाले कॉलम में क्रं. 1, 2 की प्रविष्टी विलोपित की जाती हैं।

2— कार्यविभाजन पत्र के पद क्रं. 01 श्री मयंक मोदी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रतलाम के आरक्षी केन्द्र वाले कॉलम नं. 3 में **"2—(घ) माणकचौक"** भी जोड़ा जाता है।

3— आरक्षी केन्द्र माणकचौक, जिला रतलाम से उद्भूत समस्त परिवाद पत्र एवं आरक्षी केन्द्र माणकचौक, जिला रतलाम से उद्भूत होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के मामले एवं एफ.आर. (खात्मा प्रकरण) माह **मई एवं जून** में सुश्री आकांक्षा श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम के न्यायालय में प्रस्तुत किये जायेगें।

नोट—शेष कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 10/23 दिनांक 14.02.2023 यथावत रहेगा।

(मयंक मोदी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रतलाम

पृष्ठांकन क्र. 163/24 रतलाम, दिनांक 15.05.2024

प्रतिलिपि :–

1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, रतलाम की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण, रतलाम/जावरा/सैलाना/आलोट की ओर सूचनार्थ पालनार्थ प्रेषित।
3. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, रतलाम की ओर सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. अध्यक्ष अभिभाषक संघ, रतलाम/जावरा/सैलाना/आलोट की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. जिला अभियोजन अधिकारी, रतलाम/जावरा/सैलाना/आलोट की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(मयंक मोदी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रतलाम,(म.प्र.)